(शिर्क–ओ–बिद्अ़त के ख़िलाफ़ ऐलान–ए–जंग)
/(सर्वाधिकार लेखकाधीन)

बहिश्ती ज़ेवर का ऑपरेशन

लेखक
खुर्शीद अ़ब्दुर्रशीद 'मुहम्मदी' (एम0ए0)

<u>इस किताब के सारे हवाले लेखक के पास मौजूद हैं।</u>

प्रथम बार – 1000 प्रतियां

प्रकाशित – नवम्बर, सन् 2011 ई0

सहयोग राशि – 30/ – रू0

–:प्रकाशक:–

प्त्क्ष

इस्लामिक रिसर्च एण्ड दा'वा सेन्टर

<u>न्दकमत.प्‍संउपब ॅमसतिम ैवबपमजलए डपत्रंचनत;त्महकण्द्ध</u>

कटरा कोतवाली के पीछे, मुहम्मदी गली
मिर्ज़ापुर – 231001 (यू0पी0)
मो0 – 9919737053
मउंपसरूपेसंउपबतमेमंतबी01 ⁄ लीववण्बवउ

–:बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीमः–

हमारे इस 'किताब' का मक़सद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि लोग ''शिर्क–ओ–बिदअ्त'' को छोड़कर सिर्फ एक अल्लाह की इबादत और एक रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) की इताअ़त पर लग जायें। तक़्लीद छोड़कर ''इत्तिबाअ़–ए–सुन्नत'' को लाज़िम पकड़ लें और अपनी निजात सिर्फ़ और सिर्फ़ पैग़म्बर–ए–इस्लाम हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) की पैरवी करने में ही समझें।

इसके लिए हम कुरआन–ओ–हदीस की रोशनी में आम–ओ–ख़ास सभी लोगों तक हिन्दी में अलग–अलग मसाएल पर किताबें लिखकर पहॅुचा रहे हैं और अल्लाह तआ़ला का बहुत–बहुत शुक्र–ओ–एहसान है कि बड़ी तेज़ी से लोगों में इस्लाह हो रहा है और लोग ''शिर्क–ओ–बिद्अ़त'' को

छोड़कर ''तौहीद–ओ–सुन्नत'' को अपना रहे हैं और हमारे काफिले में भी शामिल हो रहे हैं।

कुछ लोगों को शिकायत रहती है कि मैं कहीं–कहीं सख़्त अल्फ़ाज़ लिख देता हूँ जो उन्हें बुरा लगता है तो मैं आपको बता दूँ कि वो अल्फ़ाज़ मैं आ़म लोगों के लिये नहीं बल्कि ख़ास तौर से उन बिद्अ़ती और मुक़ल्लिद पेट के पुजारी मौलवियों व हठधर्मी लोगों के लिये लिखता हूँ जो कि सिर्फ़ अपना जहन्नम भरने के लिये लोगों को अल्लाह के सीधी राह से रोकते हैं और नादान लोगों ने उन्हें अपना 'रब' बना लिया है और वो भी हम उन्हें गाली नहीं देते हैं सिर्फ़ इतना कहते हैं कि अगर वाकई वो सच्चे हैं और नबी (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) को मानने वाले हैं तो आयें हमारे सामने और अपना अ़क़ीदा कुरआन–ओ–सुन्नत से साबित करें। अगर वो सच्चे हैं तो क्यों नहीं सामने आते? सिर्फ़ मुझे जाहिल– पागल कहकर क्यूँ टाल देते हैं?

आज मैं ऐसी किताब के मसाएल से आपको ताअ़रूफ कराने जा रहा हूँ जिसे आज काफी लोगों ने

एक दीनी किताब समझ रखा है और उस पर अ़मल करके जन्नत पा जाने की ललक रखते हुए अपनी बहन–बेटियों को शादी–ब्याह में भी देते हैं और जिसे बहुत मुकद्दस किताब समझा जाता है। (इस किताब को पहले मैं भी अच्छा समझता था) वो किताब है **"बहिश्ती ज़ेवर"**। जिसके लेखक हैं जनाब अशरफ़ अ़ली थानवी साहब। इस वक़्त मेरे सामने जो अक्सी–मदनी–मुकम्मल बहिश्ती ज़ेवर (बइज़ाफा जदीद कशीदाकारी) ग्यारह हिस्से, मुहम्मद शफ़ीक़ एण्ड सन्स–4138–उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद, दिल्ली–6 की छपी हुयी है, मौजूद है। लिहाज़ा, मैं जो भी हवाले लिखूंगा इन्शाअल्लाह इसी किताब से लिखूंगा। जिन हज़रात को ये हवाले मिलाने हों तो 'इस्लामिक रिसर्च एण्ड दा'वा सेण्टर' में ये किताब मौजूद है आकर हवाले मिला सकते हैं। दूसरे प्रकाशक की छपी हुई 'बहिश्ती ज़ेवर' में पेज नम्बर आगे पीछे हो सकते हैं।

बहिश्ती ज़ेवर के ग़लत मसाएल

मसअ़ला नं0 23:–कुत्ता–बन्दर–बिल्ली–शेर वगैरह जिनकी खाल बनाने से पाक हो जाती है, **बिस्मिल्लाह**

कह कर ज़ब्ह करने से भी खाल पाक हो जाती है।.....

.(किस पानी से वुजू करना और नहाना दुरूस्त है और किस पानी से नहाना दुरूस्त नहीं, भाग—1, पेज—51)

मसअ्ला नं0 5:—छोटी लड़की से अगर किसी मर्द ने सोहबत (सम्भोग) की जो अभी जवान नहीं हुई तो **उस पर गुस्ल वाजिब नहीं लेकिन आदत डालने के लिये उससे गुस्ल कराना चाहिये।**

(जिन चीज़ों से गुस्ल वाजिब होता है उनका बयान, भाग—1, पेज—64)

मसअ्ला नं0 6:—नजासते ग़लीज़ः (नापाक, गन्दी चीज़) में से अगर पतली और बहने वाली चीज़ कपड़े या बदन में लग जाये तो **अगर फैलाव में रूपये के बराबर या उससे कम हो तो माफ़ है उसके धोए बग़ैर अगर नमाज़ पढ़ लेवें तो नमाज़ हो जायेगी** लेकिन न धोना और उसी तरह नमाज़ पढ़ते रहना मकरूह और बुरा है और अगर रूपये से ज़्यादा हो तो वो माफ़ नहीं बग़ैर उसके धोए नमाज़ न होगी और अगर नजासते गलीज़ः में से गाढ़ी चीज़ लग जावे **पाख़ाना और मुर्गी वग़ैरह की बीट** तो अगर वज़न में **साढ़े चार**

माशा या उससे कम हो तो बे धोए हुए नमाज़ दुरूस्त है। ......

(नजासत पाक करने का बयान, भाग–2, पेज–67,68)

मसअ्ला नं0 11:–अगर **पेशाब की छींटें सूई के नोक के बराबर** पड़ जावें कि देखने से दिखाई न देवें तो **उसका कुछ हर्ज नहीं**, धोना वाजिब नहीं। (नजासत पाक करने का बयान, भाग–2, पेज–68)

मसअ्ला नं0 26:–हाथ में कोई **नजिस (नापाक) चीज़** लगी थी उसको किसी ने **ज़बान से 3 दफा चाट लिया** तो भी पाक हो जावेगा।.........(नजासत पाक करने का बयान, भाग–2, पेज–70)

मसअ्ला नं0 3:–जब ये 4 अंग जिसका धोना फर्ज़ है धुल जावेंगे तो वुजू हो जावेगा **चाहे वुजू की नियत हो या न हो**, जैसे कोई नहाते वक़्त सारे बदन पर पानी बहा लेवे और वुजू न करे या **हौज़ में गिर पड़े या पानी बरसने में बाहर खड़ी हो जावे** और वुजू के ये अंग धुल जावें तो **वुजू हो जावेगा** लेकिन सवाब वुजू का न मिलेगा।

मसअ्ला नं0 4:–.........अगर कोई उल्टा वुजू करे कि पहले पांव धो डाले और फिर मस्ह करे फिर दोनों

हाथ धोवे, फिर मुँह धो डाले या और किसी तरह उलट–पुलट करके वुजू करे **तो भी वुजू हो जाता है।** (वुजू का बयान, भाग–1, पेज–40)

मसअ्ला नं0 9:–अगर कोई रुकूअ़ से खड़ी होकर 'समे अल्लाहुलिमन हमे दह रब्बना लकल हम्द' या रूकूअ़ में ''सुब्हा न रब्बियल अ़ज़ीम'' **न पढ़े** या सज्दे में ''सुब्हा न रब्बियल आअ्ला'' **न पढ़े** या आख़ीर की बैठक में 'अत्तहिय्यात' के बाद **दरूद शरीफ़ न पढ़े तो भी नमाज़ हो गयी** लेकिन **सुन्नत के ख़िलाफ़** है। इसी तरह अगर दरूद शरीफ़ के बाद **कोई दुआ़ न पढ़ी** सिर्फ़ दरूद शरीफ़ पढ़कर सलाम फेर दिया **तब भी नमाज़ दुरूस्त है** लेकिन **सुन्नत के ख़िलाफ़** है।

मसअ्ला नं0 10:–नियत बांधते वक़्त हाथों को उठाना सुन्नत है अगर कोई **न उठाये तब भी नमाज़ दुरूस्त है** मगर **ख़िलाफ़े सुन्नत है।**

मसअ्ला नं0 17:–अगर पिछली दो रकअ्तों में **अलहम्दु न पढ़े** बल्कि 3 दफ़ा **'सुब्हानल्लाह–सुब्हानल्लाह'** कह ले **तो भी दुरूस्त है** लेकिन 'अल्हम्दु' **पढ़ लेना बेहतर है** और **अगर कुछ**

न पढ़े चुपकी खड़ी रहे तो भी कुछ हर्ज़ नहीं, नमाज़ दुरूस्त है।

(फर्ज़ नमाज़ पढ़ने के तरीक़ा का बयान, भाग–2, पेज–82,83)

मसअ्ला नं0 5:–कुरआन शरीफ में **देख–देख के पढ़ने से नमाज़ टूट जाती है।**

मसअ्ला नं0 10:–मुँह में **पान दबा हुआ है** और उसकी **पीक हलक में जाती रहे** तो नमाज़ नहीं हुई।(नमाज़ तोड़ देने वाली चीज़ों का बयान, भाग–2, पेज–86)

मसअ्ला नं0 5:–कोई नमाज़ में है और हांडी उबलने लगी जिसकी लागत **रूपया–डेढ़ रूपया है** तो नमाज़ तोड़कर उसको दुरूस्त कर देना जाएज़ है। ग़र्ज़ कि जब ऐसी चीज़ के नुक्सान हो जाने या ख़राब होने का डर है जिसकी कीमत रूपया–डेढ़ रूपया हो तो **उसकी हिफ़ाज़त के लिये नमाज़ का तोड़ देना दुरूस्त है।**

(जिन वजहों से नमाज़ का तोड़ देना दुरूस्त है, उनका बयान, भाग–2, पेज–89)

मसअ्ला नं0 1:–किसी के **लड़का पैदा हो रहा है** लेकिन अभी **सब नहीं निकला कुछ बाहर निकला है और कुछ नहीं निकला।** ऐसे वक़्त भी अगर होश–ओ–हवास बाक़ी हों **तो नमाज़ पढ़ना फर्ज़ है, कज़ा कर देना दुरूस्त नहीं**............. । (नमाज़ का बयान, भाग–2, पेज–127)

मसअ्ला नं0 2:–अगर किसी ने **सेहरी न खायी** उठ कर **एक–आध पान ही खा लिया तो भी सेहरी खाने का सवाब** मिल गया।

मसअ्ला नं0 4:–अगर सेहरी बड़ी जल्दी खा ली मगर उसके बाद **पान–तम्बाकू–**चाय–पानी **बड़ी देर तक खाती–पीती रही** जब सुबह होने से थोड़ी देर रह गयी तब कुल्ली कर डाली तब भी देर करके खाने का **सवाब मिल गया और इसका भी वही हुक्म है जो देर के खाने का हुक्म है।** (सेहरी खाने और इफ्तार करने का बयान, भाग–2, पेज–141)

मसअ्ला नं0 10:–बदली के दिन ज़रा **देर करके रोज़ा खोलो।** जब खूब यक़ीन हो जावे कि सूरज डूब गया होगा तब इफ़्तार करो और **घड़ी–घड़याल वग़ैरह पर कुछ भरोसा न करो**...........

(सेहरी खाने और इफ़्तार करने का बयान, भाग–3, पेज–142)

मसअ्ला नं0 3:–किसी ने कहा अपनी फलानी लड़की का निकाह मेरे साथ कर दो। उसने कहा **मैंने उसका निकाह तुम्हारे साथ कर दिया तो निकाह हो गया।** चाहे वो यूँ कहे कि **मैंने कुबूल किया या न कहे** निकाह हो गया। (निकाह का बयान, भाग–4, पेज–195)

मसअ्ला नं019:–रात को अपने बीवी को जगाने के लिये उठा मगर **ग़लती से लड़की पर** हाथ पड़ गया या **सास पर** हाथ पड़ गया और बीवी समझकर जवानी की ख़्वाहिश के साथ उसको हाथ लगाया तो अब वो मर्द **अपनी बीवी पर हमेशा के लिये हराम हो गया। अब कोई सूरत जाएज़ होने की नहीं है** और लाज़िम है कि ये **मर्द उस औ़रत को तलाक़ दे दे।**

मसअ्ला नं0 20:–किसी लड़के ने अपनी सौतेली मॉ पर बदनियती से हाथ डाल दिया तो अब वो औ़रत अपने **शौहर पर बिल्कुल हराम हो गयी। अब किसी सूरत से हलाल नहीं हो सकती** और अगर उस सौतेली मॉ ने सौतेले लड़के के साथ ऐसा किया तब

भी यही हुक्म है। (जिन लोगों से निकाह करना है हराम है उनका बयान, भाग–4, पेज–197)

मसअ्ला नं0 6:–मुसलमान होने में बराबरी का एतबार **फ़क़त मुग़ल–पठान** वग़ैरह और क़ौमों में है। **शेख़ों–सय्यदों–अलवियों– अन्सारियों में इसका कुछ एतबार नहीं है।**

मसअ्ला नं0 10:–पेशे में बराबरी ये है कि **जुलाहे, दर्जियों के मेल**

और जोड़ के नहीं। इसी तरह नाई–धोबी वग़ैरह भी **दर्जी के बराबर नहीं।** (कौन–कौन लोग अपने मेल और अपने बराबर के हैं ......भाग–4, पेज–205)

मसअ्ला नं0 16:–किसी ने **अपनी बीवी समझकर ग़लती से किसी ग़ैर औ़रत से सम्भोग कर लिया तो उसको भी महर मिस्ल देना पड़ेगा और सम्भोग को ज़िना न कहेंगे न कुछ गुनाह होगा** बल्कि

अगर पेट रह गया तो **उस लड़के का नसब भी ठीक है** उसके नसब में **कुछ धब्बा नहीं** है और उसको **हरामी कहना दुरूस्त नहीं** है और **जब मालूम हो गया कि** ये **मेरी औ़रत न थी** तो अब उस औ़रत से अलग

रहे अब सम्भोग करना दुरूस्त नहीं और उस औ़रत को भी **इद्दत बैठना वाजिब** है। अब **बग़ैर इद्दत पूरी किये अपने मियां के पास रहना और मियां का सम्भोग करना दुरूस्त नहीं।** ....

(महर का बयान, भाग–4, पेज–208)

जिसका शौहर बिल्कुल लापता हो गया, **मालूम नहीं कि ज़िन्दा है या मर गया है** तो वो औ़रत दूसरा निकाह नहीं कर सकती बल्कि इन्तिज़ार करती रहे कि षायद आ जावे जब इन्तिज़ार करते–करते इतनी मुद्दत गुजर जावे की शौहर की **उम्र 90 साल की हो जाये** तो अब हुक्म लगा देंगे कि वो मर गया होगा। सो अगर वो औ़रत **अभी जवान हो और निकाह करना चाहे** तो शौहर की उम्र **90 साल की होने के बाद इद्दत पूरी करके** निकाह कर सकती है, मगर शर्त ये है कि उस लापता मर्द के मरने का हुक्म किसी शरई हाकिम ने लगाया हो। (मियां के लापता हो जाने का बयान, भाग–4, पेज–231)

मसअ्ला नं0 2:–हमल (गर्भ) की मुद्दत कम से कम छः महीने है और ज़्यादा से ज़्यादा **दो बरस** यानि कम

से कम छः महीने का लड़का पेट में रहता है फिर पैदा होता है, छः महीने से पहले नहीं पैदा होता और ज़्यादा से ज़्यादा **दो बरस में पेट में रह सकता है,** उससे ज़्यादा पेट में नहीं रह सकता।

मसअ्ला नं0 4:—किसी ने अपनी बीवी को तलाक़ रजअ़ी दे दी, फिर **दो बरस के कम में** उसके कोई लड़का पैदा हुआ तो लड़का **उसी शौहर का है** उसको **हरामी कहना दुरूस्त नहीं**। शरीअ़त से उसका नसब ठीक है अगर दो बरस से एक दिन भी कम हो तब भी यही हुक्म है **ऐसा समझेंगे कि तलाक़ से पहले का पेट है और दो बरस तक बच्चा पेट में रहा** ....कुछ आगे चलकर लिखते हैं कि ....बल्कि ऐसी अ़ौरत के अगर **दो बरस के बाद लड़का हुआ** और अभी तक अ़ौरत ने अपनी इद्दत ख़त्म होने का इक़रार नहीं किया है तब भी वो लड़का उसी शौहर ही का है **चाहे जै बरस में हुआ हो** ....।

मसअ्ला नं0 6:—अगर नाबालिग़ लड़की को तलाक़ मिल गयी जो अभी जवान तो नहीं हुई लेकिन जवानी के करीब—करीब हो गयी है फिर **तलाक़ के बाद पूरे**

<u>**9 महीने में**</u> लड़का पैदा हुआ तो <u>**वो हरामी**</u> <u>**है**</u> और अगर 9 महीने से कम में पैदा हुआ तो शौहर का है... ।

<u>**मसअ्ला नं0 9:–**</u>निकाह हो गया लेकिन अभी रूख़सती (विदाई) <u>**नहीं हुई थी कि लड़का पैदा हो गया तो वो लड़का षौहर ही से है हरामी नहीं और उसका हरामी कहना दुरूस्त नहीं**</u>...... ।

<u>**मसअ्ला नं0 10:–**मियां परदेस में है और मुद्दत हो गयी, बरसों गुज़र गये</u> कि घर नहीं आया और यहां लड़का पैदा हो गया <u>**तब भी वो हरामी नहीं उसी षौहर का है**</u> .... ।

(लड़के के हलाली होने का बयान, भाग–4, पेज–239, 240)

<u>**मसअ्ला नं0 10:–**</u>नमाज़ में अगर कोई षख़्स <u>**सो जाये**</u> और सोने की हालत में क़हक़हा लगाये तो वुज़ू न जायेगा। (वुज़ू का बयान, भाग–11, पेज–686)

हदसे असग़र यानि बेवुज़ू होने की हालत का बयान, भाग–11, पेज–687

मसअ्ला नं0 1:–कुरआन मजीद और पारों के पूरे कागज़ को छूना **मकरूह तहरीमी** है चाहे उस मौक़े को छुए जिसमें आयत लिखी है या **उस मौक़े को जो सादा है**.........।

मसअ्ला नं0 2:–कुरआन मजीद का **लिखना मकरूह नहीं** बशर्ते कि **लिखे हुये को हाथ न लगे** ....।

मसअ्ला नं0 6:–वुज़ू के बाद अगर किसी अंग के बारे में न धोने की शंका हो लेकिन वो अंग याद न हो तो ऐसी सूरतों में **शंका दूर करने के लिये बायें पैर को धोए** ....।

मसअ्ला नं0 2:–अगर कोई मर्द किसी **कमसिन औ़रत के साथ सम्भोग करे तो गुस्ल फ़र्ज़ न होगा,** बशर्ते कि **'मनी' न गिरे** और वो औ़रत इतनी कमसिन हो कि उसके साथ सम्भोग करने में ख़ास हिस्से और मुशतरक हिस्से (शरीक किया हुआ) के मिल जाने का ख़ौफ़ हो।

मसअ्ला नं0 3:–अगर कोई मर्द अपने ख़ास हिस्से में **कपड़ा लपेट कर सम्भोग करे** तो गुस्ल फ़र्ज़ न होगा, बशर्ते कि **कपड़ा इस कद्र मोटा हो** कि जिस्म की हरारत और सम्भोग का मज़ा उसकी वजह से न महसूस हो.........। (जिन सूरतों में गुस्ल फर्ज़ नहीं, भाग–11, पेज–689)

मसअ्ला नं0 7:–किसी पर गुस्ल फ़र्ज़ हो और पर्दे की जगह नहीं तो उसमें ये तफ़सील है कि **मर्द को मर्दों के सामने नंगे होकर नहाना वाजिब है इसी तरह औऱत को औ़रतों के सामने भी नहाना वाजिब है।**...........। (हदसे अकबर के एहकाम, भाग–11, पेज–691)

मसअ्ला नं0 1:–..........अगर नमाज़ पढ़ने वाले के जिस्म पर कोई ऐसी **नापाक चीज़** हो जो अपनी **जाए पैदाईश में हो** और बाहर में उसका कुछ असर मौजूद न हो **तो कुछ हर्ज़ नहीं**, इसलिये कि उसका लोआ़ब (थूक) उसके जिस्म के अन्दर है ....।

(नमाज़ की शर्तों का बयान, भाग–11, पेज–698)

कुछ समझे आप? यानि नमाज़ में कुत्ता वग़ैरह जिस्म पर हो और उसका थूक वग़ैरह बाहर न

हो तो कोई हर्ज नहीं यानि कुत्ते को गोद में लेकर नमाज़ पढ़ सकते हैं। (लाहौल वला कुव्वत)

मसअ्ला नं0 9:–(8) मर्दों को सजदे में कुहनियां ज़मीन से उठी रखना चाहिये और **औ़रतों को ज़मीन पर बिछी हुयी।**

(फर्ज़ नमाज़ का बाअ्ज़ मसाएल, भाग–11, पेज–701)

मसअ्ला नं0 1:–वित्र का बाद तरावीह के पढ़ना बेहतर है अगर **पहले पढ़ ले तब भी दुरूस्त है।** (तरावीह का बयान, भाग–11, पेज–702)

मसअ्ला नं0 11:–अगर मर्द नमाज़ में हो और औ़रत उस मर्द का उसी **हालते नमाज़ में चुम्बन ले तो उस मर्द की नमाज़ ख़राब न होगी।** हां, मगर उसके चुम्बन लेते समय मर्द को उत्तेजना हो गयी हो तो अलबत्ता नमाज़ ख़राब हो जायेगी और अगर औ़रत नमाज़ में हो और **कोई मर्द उसका चुम्बन ले ले तो औ़रत की नमाज़ जाती रहेगी**, चाहे मर्द ने उत्तेजना से चुम्बन लिया हो या बिना उत्तेजना के और **चाहे औ़रत को उत्तेजना हुई या नहीं।**

(नमाज़ जिन चीज़ों से फ़ासिद होती है, भाग–11, पेज–728,729)

मसअ्ला नं0 2:–अगर कोई नाबालिग लड़का इशा की नमाज़ पढ़कर सोए और फजिर का वक़्त होने के बाद जाग कर 'मनी' का असर देखे जिससे मालूम हो कि उसको स्वप्नदोष हो गया है तो **राजेह क़ौल** से उसको चाहिये कि **इशा की नमाज़ दोहराए** और फजिर का वक़्त होने के पहले जाग कर 'मनी' का असर देखे तो **बिल इत्तेफाक़ इशा की नमाज़ कज़ा पढ़े।** (नमाज़ कज़ा हो जाने के मसाएल, भाग–11, पेज–732)

मसअ्ला नं0 2:–और जो **नशा दार हो** मगर पतली न हो बल्कि असल से जमा हुआ हो **जैसे तम्बाकू–ज़ायफल–अफयून** वग़ैरह, उसका हुक्म ये है कि जो मात्रा प्रयोग करने पर नशा पैदा करे या उससे बहुत नुक़्सान हो वो तो हराम है और **जो मात्रा नशा न लाये न उससे कोई नुक़्सान पहुँचे वो जाएज़ है.....**(नशेदार चीज़ों का बयान, भाग–11, पेज–777)

ये तो रहे चावल के वो चन्द नमूने जो मैंने ''बहिश्ती ज़ेवर'' की हांडी में से निकालकर आपको दिखाए हैं, ऐसे ही न जाने कितने ग़लत, बेहूदा और गन्दे मसाएल इस **बेहूदा किताब के अन्दर** मौजूद है अगर आपको तफ़सील से जानना है तो आप इस किताब को खुद देख सकते हैं और साथ ही आप पेशावर के सय्यद वक़ार अ़ली शाह की लिखी किताब ''बहिश्ती ज़ेवर का खुदसाख़्ता इस्लाम'' भी जरूर पढ़ें जिसमें इस किताब के ग़लत मसाएल की निशानदेही बड़े तफ़सील से की गयी है। इसके अलावा इस उ़न्वान पर षेख़ मेअ़्राज रब्बानी और मेरी तक़रीरों की सी0डी0 मुलाहिज़ा फ़रमायें।

सभी मुसलमान जानते हैं कि वह्यी सिर्फ़ नबियों पर आती है और हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) के वफ़ात के बाद अब वह्यी के आने का सिलसिला बन्द हो चुका है, पर अशरफ अ़ली थानवी की इस ''बहिश्ती ज़ेवर'' में आप **आठवां हिस्सा खोलें और पेज नं0 500** पर पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि अभी भी वह्यी आती है और बाक़ायदा

कागज़ पर लिखकर आती है।

(अऊज़ुबिल्लाह)

"एक बुजुर्ग हैं बशर बिन हारिस (रह0) वो उनकी ज़ियारत को आते, एक दफा बशर बीमार हो गये। ये उनको पूछने गयी, अहमद बिन हंबल जो बहुत बड़े इमाम हैं, वो भी पूछने आ गये। मालूम हुआ कि ये आमीना हैं रमीला से आई हैं। इमाम अहमद ने बशर से कहा कि इनसे हमारे लिये दुआ़ कराओ, बशर ने दुआ़ के लिये कहा। उन्होंने दुआ़ की – ''ऐ अल्लाह– बशर और अहमद दोज़ख़ से पनाह चाहते हैं, इन दोनों को पनाह दे। इमाम अहमद कहते हैं कि रात को **एक पर्चा ऊपर से गिरा उसमें "बिस्मिल्लाह" के बाद लिखा हुआ था कि हमने मंजूर किया और हमारे यहां और भी नेअ़मतें हैं।**

(हज़रत आमीना रमीला का ज़िक्र, भाग–8, पेज–500)

देख लिया आपने! जन्नत में ले जाने वाली किताब ''बहिश्ती ज़ेवर'' की **अनमोल ताअ़लीमात** को? अब तो आप समझ ही गये होंगे कि ये 'बहिश्ती ज़ेवर' है या 'जहन्नमी ज़ेवर'। मुसलमानो! मैं आपकी ग़ैरत

को आवाज़ देता हूँ कि आपको ये क्या हो गया है कि अल्लाह की किताब कुरआन व प्यारे रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) की ताअ़्लीमात को छोड़कर ये अल्लम–ग़ल्लम किताबों 'बहिश्ती ज़ेवर' या 'फ़ज़ाएले अ़ामाल' या ''फ़ैज़ाने सुन्नत'' या किसी भी हनफ़ी फिक़्ह के पीछे पड़े हुए हैं–अरे इन किताबों को कभी आप निष्पक्ष होकर और ऑखें खोलकर पढ़ें तो आपको ऐसे–ऐसे मसाएल इन किताबों में मिलेंगे कि आपने सोचा भी न होगा। जी हां, इसके आगे **कोकशास्त्र** भी फ़ेल है। यक़ीन न हो तो आप 'इस्लामिक रिसर्च एण्ड दा'वा सेण्टर' में आयें हम आपको हनफ़ी फ़िक़्ह हिदाया, दुर्रे मुख़्तार, फ़तावा आलमगीरी, शरह वक़ायः, कुदूरी जैसी किताबों में और देवबन्द व बरेली (अ़ालाहज़रत) के फ़त्वों व किताबों में ऐसे–ऐसे भयानक और गन्दे मसाएल दिखाएं कि आपके होश फ़ाख़्ता हो जायेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरी किताब 'कुरआन–ओ–हदीस के ख़िलाफ़ फ़िक़्हः के गन्दे व ग़लत मसाएल, अ़वाम की अ़दालत में' ज़रूर पढ़ें।

अल्लाह के वास्ते, मुसलमानो! अब तो होश में आओ। तुम्हारी कब्रों में कोई इमाम–कोई आ़लिम कोई फ़क़ीह–कोई पीर या सज्जादानशीं नहीं जायेगा, न तो तुम्हारे गुनाह के बोझ को ही कोई हल्का करायेगा। इसलिए अब भी वक़्त है जागो–और अन्धी तक़लीद छोड़कर ऑखें खोलकर सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के कुरआन और मदीने वाले के फ़रमान को ही अपना आदर्श (नमूना) बनाओ और उसी की पैरवी करो। सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी को काफ़ी समझो तभी तुम्हारा निजात (इन्शाअल्लाह) हो पायेगी, वरना अगर तुमने ऐसी ही अल्लम–ग़ल्लम किताबों की पैरवी की तो अल्लाह के यहां तुम्हारे आ़माल बेकार और ग़ारत जायेंगे।

आख़ीर में, अल्लाह तआ़ला से दुआ़ है कि हम सभी मुसलमान भाई–बहनों को अपने किताब कुरआन और नबी (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) की सुन्नतों पर अ़मल करने वाला सच्चा–पक्का मोमिन बना दे। (आमीन)

नोट :— हवालों कहीं—कहीं हमने ज़रूरत के मुताबिक़ हिन्दी तर्जुमा कर दिया है और कहीं—कहीं वैसे ही नक़ल कर दिया है।